न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : [illegible] 0060 [illegible]

[illegible]

निगरानी प्र0 क्र0 1496 दो / 2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-05-13 पारित अपर तहसीलदार सीहोर प्रकरण क्रमांक 134 / अ 12 / 12-13

[illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] ..... आवेदक

विरूद्ध

1. बादरसिंह पुत्र राधाकिशन
   निवासी ग्राम अमलाद [illegible] जिला सीहोर ..... अनावेदकगण
2. मध्यप्रदेश शासन

श्री [illegible] अभिभाषक आवेदक

श्री [illegible] अभिभाषक अनावेदक क्र0 1

आदेश

(आज दिनांक 03-06-2014 को पारित)

[illegible] निगरानी [illegible] मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे [illegible]) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर तहसीलदार सीहोर के प्रकरण क्रमांक 134 अ 12 / 12-13 में पारित आदेश दिनांक 24-05-13 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. [illegible] कि अनावेदक बादरसिंह ने ग्राम अमलाद स्थित [illegible] भूमि के सीमांकन हेतु [illegible] तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 9-5-13 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु लिखा [illegible] आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 24-5-13 को नियत [illegible] दिनांक 24-5-13 द्वारा आवेदक [illegible]

की आपत्ति निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना आपत्ति निरस्त की गयी है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार भी त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि अति0 तहसीलदार ने दिनांक 7 6 13 को पूर्व प्रकरण आपत्ति पर जवाब हेतु नियत किया है उनका तर्क है कि तहसील न्यायालय ने दिनांक 26 10 13 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचनापत्र जारी किया है जबकि प्रकरण दिनांक 10 9 13 को आपत्ति पर जवाब एवं बहस हेतु नियत था। उनका तर्क है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के विपरीत कार्यवाही की गयी है जो दूषित होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि सर्वे न0 329, 291 राजस्व अभिलेख में दर्ज था जिसको विधिवत बटान हुआ जिसमें 329/291/2, 329/291/3 किया गया जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है। नक्शे मे भी बटान दुरूस्ती नही है। उनका अंत मे यह तर्क है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि की पात्रता नही होते हुए भी भूमि अनावेदक को आवंटित की गयी है। इस आवंटन आदेश की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो विचाराधीन है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4 अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है। भूमिस्वामी को अपने स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराकर सीमायें ज्ञात करने का अधिकार है। उनका तर्क है कि सीमांकन के प्रकरण में स्वत्व का निराकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अति0 तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति खारिज करने में कोई गलती नहीं की है, उनका यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी समयावधि बाह्य है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5. [illegible] के अवलोकन से [illegible] है कि आवेदक द्वारा विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदनपत्र [illegible] प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में अनावेदक द्वारा कोई [illegible] शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये न्यायहित में विलम्ब को माफ किया [illegible]

6. आवेदक भारतसिंह ने निगरानी आवेदनपत्र के साथ समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपर तहसीलदार के आलोच्य आदेश की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23 4 14 को प्राप्त होने पर हुई दर्शाया है और अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। अपर तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 24-5-13 पर आवेदक भारतसिंह या उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा अनावेदक द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र के खण्डन में [illegible] शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये न्यायहित में विलम्ब को माफ किया जाता है और निगरानी समयावधि में होना मान्य किया जाता है।

7. तहसील न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध नायब तहसीलदार सीहोर के प्रतिवेदन दिनांक 27 9-71 के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम अमरोद की भूमि ख0क0 329 291 रकबा 1.40 एकड़ निस्तार की भूमि होकर गोहा राजस्व अभिलेख में अंकित थी जिसे अनावेदक [illegible] के आवेदनपत्र पर जॉच कर नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर कलक्टर ने आदेश दिनांक 16--12--71 द्वारा काबिल काश्त घोषित किया है। निस्तार पत्रक में [illegible] संहिता की धारा 234(3) के अनुसार [illegible] अधिकारी द्वारा ग्रामसभा की प्रार्थना पर या जहॉ ग्राम सभा न हो वहॉ ग्राम [illegible] चौथाई [illegible] के आवेदनपत्र पर या अन्तर्विभागीय अधिकारी [illegible] किया [illegible] व्यक्ति के आवेदन के आधार पर निस्तार पत्रक में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में कलेक्टर का निस्तार पत्रक में संशोधन कर भूमि काबिल काश्त घोषित करना प्रथमदृष्टया विधि अनुकूल नहीं है। आवेदक भारतसिंह द्वारा कलेक्टर सीहोर के आदेश दिनांक 16 12--71 के विरूद्ध निगरानी [illegible] की गयी है जो प्रकरण क्रमांक 116 2013 14 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ

27-28 व 29 30 में अनावेदक द्वारा खसरा क्र0 329, 291 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-04-72 से प्राप्त होना दर्शाया है। अनावेदक की भूमि खसरा न 328, 291/1ख प्रतिवेदन दिनांक 27.9.71 में दर्शाया गया है। यह भूमि आवेदक की है। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही विधि अनुकूल नहीं है. तहसील न्यायालय के अभिलेख पृ0 99-100 पर उपलब्ध अपर कलेक्टर सीहोर के आप दिनांक 20 11 13 से अभिलेख की मांग की गयी है जिससे आदेश दिनांक 13-4-72 के विरुद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन होकर लंबित है। ऐसी दशा में जब अनावेदक चांदसिंह का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व ही विवादित है और उसके संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तब उनके निराकरण के पूर्व उस प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी मान्य कर सीमांकन की कार्यवाही करना विधि अनुकूल नहीं है। तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किये जाने के पश्चात ही अनावेदक चांदसिंह के सीमांकन आवेदन पर कार्यवाही करना चाहिये थी।

8/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 24 5 13 एवं समस्त अग्रिम कार्यवाही निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर